अधिसूचना संख्या 207/2015 [एफ. सं. वी.27015/2/2015-एसओ (एनएटी. कॉम)]/एसओ 1994(ई), **दिनांक 20-7-2015**

जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एस.ओ 627(ई) दिनांक 12.03.2013 द्वारा, केन्द्र सरकार ने क्रम संख्या 3 पर, "जीवन ज्योत कैंसर रिलीफ एंड केयर ट्रस्ट, 3/9, कोंडाजी चॉल, जेरबाई वाडिया रोड, टाटा अस्पताल के पास, परेल - 12, मुम्बई, महाराष्ट्र" द्वारा "जीवन ज्योत कैंसर रिलीफ एंड केयर ट्रस्ट की वर्तमान गतिविधियों को बनाए रखना" को वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए 10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना या योजना के रूप में अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या योजना के 3 वर्षों से आगे बढ़ने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने इस बात से संतुष्ट होकर कि उक्त परियोजना या योजना को ठीक से निष्पादित किया जा रहा है, आयकर नियम, 1962 के नियम 11ड के उप-नियम (5) के तहत उक्त परियोजना या योजना को तीन साल की और अवधि के लिए निर्दिष्ट करने के लिए एक और सिफारिश की है।

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (*ख*) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा, "जीवन ज्योत कैंसर राहत एवं देखभाल ट्रस्ट की वर्तमान गतिविधियों को बनाए रखने" की योजना या परियोजना को अधिसूचित करती है, जिसे "जीवन ज्योत कैंसर राहत एवं देखभाल ट्रस्ट, 3/9, कोंडाजी चाल, जेरबाई वाडिया रोड, टाटा अस्पताल के पास, परेल - 12, मुंबई, महाराष्ट्र" द्वारा वित्त वर्ष 2015-16 अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-18 से शुरू होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए 10.00 करोड़ की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना कार्यान्वित किया जा रहा है।

■■